खत्म नहीं हुई चीनी मिलों के राहत पैकेज पर रार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चीनी उद्योग की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) की बैठक में गुरुवार को भी घाटे में फंसे चीनी उद्योग को दिए जाने वाले राहत पैकेज पर फैसला नहीं हो सका। इसे एक बार फिर टाल दिया गया। अब शुक्रवार को इस पर विचार किए जाने की संभावना है। हालांकि, सीसीईए ने चालू सत्र के लिए गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को 10 रुपये बढ़ाकर 220 रुपये करने का फैसला किया है।

दरअसल कृषि मंत्री शरद पवार और खाद्य मंत्री केवी थॉमस के नाक का सवाल बनाने से पैकेज को लेकर यह विवाद गहरा गया है। उम्मीद यह थी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीईए की बैठक में कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। सीसीईए की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका था। असल मसला यह है कि कृषि मंत्रालय ने कच्ची चीनी के निर्यात पर 3,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने की वकालत की है। इसके उलट खाद्य मंत्रालय की ओर से तैयार कैबिनेट नोट में इसे 2,000 रुपये प्रति टन किया गया है।

चीनी उद्योग को घाटे और नगदी संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन कर दिया था। इसमें वित्त मंत्री पी चिदंबरम, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और खाद्य राज्य मंत्री केवी थॉमस सदस्य थे। जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की है। इन्हें सरकार ने सामान्य तौर पर मान लिया है। इनके तहत 40 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य कम होने की वजह से जीओएम ने इसके लिए 3,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात सब्सिडी देने की सिफारिश की है। लेकिन खाद्य मंत्रालय के कैबिनेट नोट में इसे घटाने को लेकर पवार को सख्त एतराज है। इसी वजह से यह मामला विवादों में उलझ गया है।

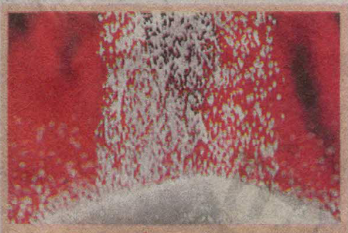

सीसीईए की बैठक

- कैबिनेट में फिर नहीं हो सका पैकेज पर फैसला
- पवार व थॉमस के नाक का सवाल बनाने से गहराया विवाद
- कल फिर हो सकती है सीसीईए की बैठक
- गन्ने के एफआरपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी

Dainik Jagaran

7/2/14